उत्तराखण्ड शासन,
गृह अनुभाग–5
संख्या– / XX–5–2025–03(10)2024 टी0सी0–4
देहरादूनः दिनांकः 22 अप्रैल, 2025

अधिसूचना

राज्यपाल समान नागरिक संहिता, उत्तराखण्ड, 2024 की धारा 48 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके समान नागरिक संहिता नियमावली, उत्तराखण्ड, 2025 में संशोधन करने की स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

समान नागरिक संहिता (संशोधन) नियमावली, उत्तराखण्ड, 2025

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ	1.	(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम समान नागरिक संहिता (संशोधन) नियमावली, उत्तराखण्ड, 2025 है। (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।
नियम 4 का संशोधन	2.	समान नागरिक संहिता नियमावली, उत्तराखण्ड, 2025 के नियम 4 के उपनियम (3) में – (i) खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात् – (क) ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत विकास अधिकारी या ग्राम पंचायत विकास अधिकारी का प्रभार संभाल रहा अन्य कार्मिक/अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र हेतु या राज्य सरकार द्वारा नामित अन्य कार्मिक/अधिकारी उप–निबंधक होगा। (ii) खण्ड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात् – (ड.) समस्त जनपदों में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 6 में निहित उपबंधों के अनुसार नियुक्त उप–निबंधक अपने अधिकारिता क्षेत्र में इस नियमावली के अध्याय–4 के अतिरिक्त अन्य उपबंधों के क्रियान्वयन हेतु भी उप–निबंधक होंगे।

(शैलेश बगौली)
सचिव।

..........2/–

संख्या–546/XX–5–2025–03(10)2024 टी0सी0–4, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड ओबराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।

2– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

3– सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।

4– सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।

5– प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

6– सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

7– पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड, देहरादून।

8– मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल।

9– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

10– समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड।

11– उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को राजकीय गजट में प्रकाशित कर अधिसूचना की 50 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

12– विभागीय आदेश पुस्तिका/एन0आई0सी0।

(शैलेश बगौली)
सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
गृह अनुभाग–5
संख्या–878/XX–5–2025–03(10)/2025
देहरादून: दिनांक 19 जून, 2025

अधिसूचना संख्या–877/XX–5–2025–03(10)/2025 दिनांक 19 जून 2025 के द्वारा प्रख्यापित समान नागरिक संहिता (द्वितीय संशोधन) नियमावली, उत्तराखण्ड 2025 की हिन्दी/अंग्रेजी की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड ओबराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3– सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
4– सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
5– प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6– सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7– पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8– मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल।
9– पुलिस महानिरीक्षक, गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल।
10– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
11– समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड।
12– उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को राजकीय गजट में प्रकाशित कर अधिसूचना की 50–50 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
13– विभागीय आदेश पुस्तिका/एन०आई०सी०।

आज्ञा से,

(अखिलेश मिश्रा)
उप सचिव।

उत्तराखण्ड शासन,
गृह अनुभाग–5
संख्या– / XX–5–2025–03(10)2025
देहरादून: दिनांक [illegible] जून, 2025

अधिसूचना

राज्यपाल समान नागरिक संहिता, उत्तराखण्ड, 2024 की धारा 45 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके समान नागरिक संहिता नियमावली, उत्तराखण्ड, 2025 में संशोधन करने के दृष्टिगत् निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं, अर्थात् –

समान नागरिक संहिता (द्वितीय संशोधन) नियमावली, उत्तराखण्ड, 2025

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ	1	(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम समान नागरिक संहिता (द्वितीय संशोधन) नियमावली, उत्तराखण्ड, 2025 है। (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।
नियम 9 का संशोधन	2	समान नागरिक संहिता नियमावली, उत्तराखण्ड, 2025 के नियम 9 के उपनियम (3) के अंत में स्पष्टीकरण निम्नवत् अन्तःस्थापित कर दिया जाएगा, अर्थात्– "**स्पष्टीकरण**– पंजीकृत विवाह की अभिस्वीकृति के मामले में उपनियम (3)(ज), (3)(झ), (3)(ड)(iv)(क), (3)(ड)(iv)(ख), (3)(ड)(vi)(क), (3)(ड)(vi)(ख) एवं (3)(ड)(vi)(ग) के प्रावधान लागू नहीं होंगे।"

(शैलेश बगौली)
सचिव।

संख्या–877/XX–5–2025–03(10)2025, तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–
1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड ओबराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3– सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
4– सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
5– प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6– सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7– पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8– मण्डलायुक्त, गढ़वाल / कुमाऊँ मण्डल।
9– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10– समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड।
11– उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को राजकीय गजट में प्रकाशित कर अधिसूचना की 50–50 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
12– विभागीय आदेश पुस्तिका / एन0आई0सी0।

(शैलेश बगौली)
सचिव।

In pursuance of the provision of clause (3) of article 348 of "**the Constitution of India**", the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 677/XX-5-2025-03(10)2025, dated 19 June, 2025 for general Information.

Government of Uttarakhand
Home Section-5
No. 677 /XX-5- 2025- 03(10)2025
Dehradun, Dated, 19 June, 2025

<u>Notification</u>

In exercise of the powers Conferred by Section 48 of the Uniform Civil Code, Uttarakhand, 2024, the Governor is pleased to make the following rules with a view to amend the Uniform Civil Code Rules, Uttarakhand, 2025:-

<u>The Uniform Civil Code (Second Amendment) Rules, Uttarakhand, 2025</u>

Short title and commencement	**1.**	**(1)** These Rules may be called the Uniform Civil Code (Second Amendment) Rules, Uttarakhand, 2025. **(2)** It shall come into force at once.
Amendment of Rule 9	**2.**	In the Uniform Civil Code Rules, Uttarakhand, 2025, in the end of sub rule (3) of rule 9 explanation shall be inserted as follows, namely:- "**<u>Explanation</u>**:- The provisions of sub-rules (3) (h), (3) (j), (3) (m) (iv) (a), (3) (m) (iv) (b), (3) (m) (vi) (a), (3) (m) (vi) (b) and (3) (m) (vi)(c) shall not apply in the case of acknowledgement of a registered marriage."

(Shailesh Bagouli)
Secretary.

No. 877 /XX-5- 2025- 03(10)2025, dated as above:-

Copy to:- Sent to the following for information and necessary action:-

1- Accountant General, Uttarakhand Oberoi Building, Majra, Dehradun.
2- Chief Secretary, Government of Uttarakhand.
3- Secretary, Governor of Uttarakhand.
4- Secretary, Hon'ble Chief Minister, Uttarakhand.
5- Prinicipal Secretary, Department of Justice, Government of Uttarakhand.
6- Secretary, Finance Department, Uttarakhand Government.
7- Director General of Police, Uttarakhand.
8- Divisional, Garhwal/Kumaon Division.
9- All District Magistrates, Uttarakhand.
10- All Senior Superintendents of Police/Superintendents of Police, Uttarakhand.
11- Sent to the Deputy Director, Government Printing Press, Roorkee with the intention that the said notification be published in the Government Gazette and 50-50 copies of the notification be maid available to the Government.
12. Departmental Order Book/NIC.

(Shailesh Bagouli)
Secretary.

उत्तराखण्ड शासन
गृह अनुभाग–5
संख्या–1684/XX-5 – 2025–03(16)2025
देहरादून : दिनांक 17 नवम्बर, 2025

अधिसूचना

राज्यपाल समान नागरिक संहिता, उत्तराखण्ड, 2024 की धारा 48 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके समान नागरिक संहिता नियमावली, उत्तराखण्ड, 2025 में संशोधन करने के दृष्टिगत निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं, अर्थात् :–

समान नागरिक संहिता (तृतीय संशोधन) नियमावली, उत्तराखण्ड, 2025

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ	1	(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम समान नागरिक संहिता (तृतीय संशोधन) नियमावली, उत्तराखण्ड, 2025 है। (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।
नियम 9 का संशोधन	2	नागरिक संहिता नियमावली, उत्तराखण्ड, 2025 के नियम 9 के उपनियम (4) में खण्ड (ख) के पश्चात् नया खण्ड (ग) को निम्नवत् अन्तःस्थापित कर दिया जाएगा, अर्थात्:– "(ग) नेपाली/भूटानी/तिब्बती नागरिकों के विवाह पंजीकरण हेतु निम्नलिखित दस्तावेज/अभिलेख की आवश्यकता होगी:– **(i)** नेपाली/भूटानी नागरिकों हेतु नेपाली/भूटानी नागरिकता प्रमाण–पत्र अथवा भारत में 182 दिन से ज्यादा ठहरने के लिए नेपाली मिशन/रॉयल भूटानी मिशन द्वारा जारी सीमित वैध पहचान प्रमाण–पत्र, **(ii)** तिब्बती नागरिकों हेतु विदेशी पंजीकरण अधिकारी द्वारा जारी वैध पंजीकरण प्रमाण–पत्र/आवासीय अनुज्ञा–पत्र।"

Digitally signed by
Shailesh Bagauli
Date: 13-11-2025
18:04:12

(शैलेश बगौली)
सचिव।

संख्या–1684/XX-5 – 2025–03(16)2025, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड ओबराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3– सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
4– सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
5– प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6– सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7– पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8– मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल।
9– समस्त जिला मजिस्ट्रेट, उत्तराखण्ड।
10– समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड।
11– अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को राजकीय गजट में प्रकाशित कर अधिसूचना की 50 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
12– विभागीय आदेश पुस्तिका/एन0आई0सी0।

(शैलेश बगौली)
सचिव।

In pursuance of the provision of clause (3) of article 348 of "the Constitution of India", the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 1684 /XX-5-2025-03(16)2025 Dated 17 November, 2025 for general Information.

Uttarakhand Government
Home Section-5
Number-1684/ XX-5-2025-03(16)2025
Dehradun: Date 17 November, 2025

Notification

In exercise of the powers under section 48 of the Uniform Civil Code, Uttarakhand, 2024, the Governor is pleased to make the following rules with a view to amend the Uniform Civil Code Rules, Uttarakhand, 2025, namely:-

The Uniform Civil Code (Third Amendment) Rules, Uttarakhand, 2025

Short title and commencement	1.	(1) These rules may be called the Uniform Civil Code (Third Amendment) Rules, Uttarakhand, 2025. (2) It shall come into force at once.
Amendment of Rule 9	2.	In sub-rule (4) of rule 9 of the Uniform Civil Code Rules, Uttarakhand, 2025, after clauses (b), a new clause (c) shall be inserted as follows, namely:- "(c) The following documents/records shall be required for marriage registration of Nepali/Bhutanese /Tibetan citizens:- (i) For Nepali/Bhutanese citizens valid Nepali/Bhutanese citizenship certificate or Identity Certificate of limited validity issued by Nepal Mission/Royal Bhutanese Mission for stay exceeding 182 days in India. (ii) For Tibetan citizens valid Registration Certificate/Residential permit issued by the Foreigners Registration Officer.

Digitally signed by
Shailesh Bagauli
Date: 13-11-2025
18:03:49

(Shailesh Bagauli)
Secretary.

No-1684/XX-5-2025-03(16) 2025, dated the same.

Copy: Sent to the following for information and necessary proceedings:-
1- Accountant General, Uttarakhand Oberoi Building, Majra, Dehradun.
2- Chief Secretary, Uttarakhand Government.
3- Secretary, Mr. Governor, Uttarakhand.
4- Secretary, Hon'ble Chief Minister, Uttarakhand.
5- Principal Secretary, Department of Justice, Government of Uttarakhand.
6- Secretary, Finance Department, Uttarakhand Government.

7- Director General of Police, Uttarakhand, Dehradun.
8- Divisional, Garhwal/Kumaon Division.
9- All District Magistrates, Uttarakhand.
10-All Senior Superintendents of Police/Superintendents of Police, Uttarakhand.
11- Sent to the Additional Director, Government Printing Press, Roorkee with the intention that the said notification should be published in the Government Gazette and 50 copies of the notification should be made available to the Government.
12- Departmental Order Book/NIC.

(Shailesh Bagauli)
Secretary.